

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 776/2015)
(संस्थित दिनांक :- 08/10/2015)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- एण्डोरी।
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. जोगेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र लाखन सिंह गुर्जर, उम्र 28 वर्ष।
02. कोक सिंह गुर्जर पुत्र अमर सिंह गुर्जर, उम्र 46 वर्ष।
 निवासीगण :- ग्राम मुले का पुरा, थाना-एण्डोरी, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
 अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 19/01/2018 को घोषित)

01. अभियुक्तगण जोगेन्द्र एवं कोक सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 08/09/2015 को लगभग 07:45 बजे, फरियादी श्रीचन्द्र के घर के पास ग्राम मुले का पुरा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी श्रीचन्द्र को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी श्रीचन्द्र एवं रामलखन की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी श्रीचन्द्र की मारपीट कर उसे उपहति एवं आहत रामलखन की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं फरियादी श्रीचन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 08/09/2015 को लगभग 07:45 बजे, फरियादी श्रीचन्द्र के घर के पास ग्राम मुले का पुरा में, आरोपीगण द्वारा फरियादी श्रीचन्द्र से गाली-गलौच करने, उसकी एवं आहत रामलखन की लाठियों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी श्रीचन्द्र द्वारा उसी दिनांक को थाना एण्डोरी में की जाने पर, थाना एण्डोरी में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 109/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत रामलखन की एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण

आरोपीगण के विरुद्ध धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचानमें बनाये गये। आरोपीगण जोगेन्द्र एवं कोक सिंह एक-एक बांस की लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी श्रीचन्द्र, आहत/साक्षी रामलखन, जगदीश एवं महावीर सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण जोगेन्द्र एवं कोक सिंह के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :- 08/09/2015 को लगभग 07:45 बजे, फरियादी श्रीचन्द्र के घर के पास ग्राम मुले का पुरा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी श्रीचन्द्र को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी श्रीचन्द्र एवं रामलखन की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी श्रीचन्द्र की मारपीट कर उसे उपहति एवं आहत रामलखन की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी श्रीचन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण जोगेन्द्र एवं कोक सिंह को जानता है, वह उसके ग्राम मुले के पुरा के रहने वाले है। साक्षी आगे कहता है कि आहत रामलखन उसका बड़ा भाई है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/04/2017 से लगभग डेढ़ साल पहले की दिनांक : 08/09/2015 की शाम लगभग साढ़े सात-पौने आठ बजे की उसकी घर के दरवाजे के सामने गली की है। उसकी फसल में जोगेन्द्र की गाय चर रही थी, जिन्हें उसने भगाया तो, आरोपी जोगेन्द्र ने उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी और कहा कि गाय तो ऐसे ही चरेगी। साक्षी आगे कहता है कि उसने गाली देने से मना किया तो जोगेन्द्र ने उसके बाये कंधे में में लाठी मारी, उसके बड़े भाई रामलखन ने उसकी लाठी पकड़ी तो आरोपी कोक सिंह ने रामलखन में लाठी मार दी, जो उनके उल्टे हाथ की बाह में पड़ी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण उसे धमकी देते है कि तुम्हारे पशु गली से नहीं निकलने देंगे, इस घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना एण्डोरी में की थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने दूसरे दिन मौके पर आकर उसके बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ की थी एवं उसका ईलाज कराया था।

09. आहत/साक्षी रामलखन अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण जोगेन्द्र एवं कोक सिंह को जानता है, वह उसके ग्राम मुले के पुरा के रहने वाले है। साक्षी आगे कहता है कि आहत श्रीचन्द्र उसका छोटा भाई है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/04/2017 से लगभग डेढ़ साल पहले की दिनांक की शाम लगभग आठ बजे की उसके घर के दरवाजे के सामने गली की है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी फसल में आरोपीगण की गाय चर रही थी, तो उसके छोटे भाई श्रीचन्द्र ने आरोपी कोक सिंह से कहा कि अपनी गाय यहाँ क्यों चराते हो, तो कोक सिंह ने कहा कि ऐसे ही चरेगी। उसके बाद आरोपी कोक सिंह ने उसके उल्टे हाथ की बाह में लाठी मारी, जिससे उसकी बाह एवं पसलियों में चोट आई और उसकी दो पसलियाँ टूट गई और वह गिर गया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी जोगेन्द्र ने उसके भाई श्रीचन्द्र के कंधे में लाठी मारी, जिससे उसके कंधे में चोट आई। आरोपीगण ने उन्हें माँ-बहन की अश्लील गालियाँ दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद घटना की रिपोर्ट करने वह एवं उसका भाई श्रीचन्द्र थाना एण्डोरी गये थे, जहाँ पर घटना की रिपोर्ट श्रीचन्द्र ने लिखवाई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी एवं उसका ईलाज कराया था।

10. आहत श्रीचन्द्र ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में आरोपी जोगेन्द्र द्वारा उल्टे हाथ के

कंधे में लाठी मारने की बात लिखा दी थी, अगर ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में उसके दाहिने कंधे में लाठी मारने की बात बताई थी, यदि उक्त बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में आरोपी जोगेन्द्र द्वारा आहत श्रीचन्द्र के दाहिने कंधे में लाठी मारने का उल्लेख है, जबकि उसने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी जोगेन्द्र द्वारा उसके बाये कंधे में लाठी मारने का तथ्य बताया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

11. फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि आरोपी कोक सिंह ने आहत रामलखन के उल्टे अर्थात् बाये हाथ की बाह में लाठी मारी थी। जबकि रामलखन अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि आरोपी कोक सिंह ने उसके उल्टे हाथ की बाह में लाठी मारी, जिससे उसकी बाह एवं पसलियों में चोट आई, जिससे उसकी दो पसलियाँ टूट गई। आहत रामलखन अ.सा.03 का चिकित्सालीय परीक्षण करने वाले डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आहत रामलखन के बाईं भुजा में नीलगू निशान एवं बाईं ह्यूमरस हड्डी में अस्थिभंग होने का उल्लेख किया है, उनके द्वारा रामलखन पसलियाँ टूटी होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार आहत रामलखन को आई चोटों के स्थान, प्रकृति एवं संख्या के संबंध में फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02, रामलखन अ.सा.03 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं डॉ.आलोक शर्मा द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण एवं एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

12. आहत/फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी जोगेन्द्र द्वारा उसके बाये कंधे पर लाठी मारकर चोट पहुँचाने का उल्लेख किया है। जबकि उनका चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ.आलोक शर्मा ने आहत श्रीचन्द्र के बाये कंधे पर किसी चोट का उल्लेख उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य या इस वावत् दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया है। बल्कि उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 में आहत श्रीचन्द्र के दाईं भुजा पर 05 गुणा 1.3 से.मी. के नीलगू निशान का उल्लेख है। इस प्रकार आहत श्रीचन्द्र अ.सा.02 का आरोपित घटना में कथित रूप से कारित हुई चोट के स्थान के संबंध में श्रीचन्द्र अ.सा.02 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा डॉ. आलोक शर्मा द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. साक्षी जगदीश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी जोगेन्द्र ने लाठी मारी थी, जो श्रीचन्द्र के उल्टे हाथ में लगी और कोक सिंह ने रामलखन को लाठी मारी, जो उसके उल्टे हाथ में लगी। जबकि श्रीचन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि आरोपी जोगेन्द्र ने उसके बाये कंधे में लाठी मारी, ना कि बाये हाथ में। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में श्रीचन्द्र अ.सा.02 एवं जगदीश अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। साक्षी महावीर अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी जोगेन्द्र द्वारा श्रीचन्द्र के बाये कंधे में लाठी मारने का उल्लेख किया है, लेकिन डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तथा स्वयं श्रीचन्द्र द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में श्रीचन्द्र के बाये कंधे में लाठी की चोट का कोई उल्लेख नहीं होने से महावीर अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

14. उल्लेखनीय है कि आहत फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके एवं रामलखन के विरुद्ध आरोपी जोगेन्द्र सिंह की मारपीट का मुकदमा न्यायालय गोहद में चल रहा है। आहत रामलखन अ.सा.03 ने भी उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके एवं श्रीचन्द्र के विरुद्ध आरोपी जोगेन्द्र की मारपीट का मुकदमा न्यायालय गोहद में चल रहा है। इस प्रकार आहत फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 एवं रामलखन अ.सा.03 द्वारा आरोपी अधिवक्ता के उक्त सुझावों को स्वीकार करने से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण के मध्य पूर्व से मारपीट की घटनाएं होने के कारण रंजिश विद्यमान है और उक्त रंजिश के कारण जितना आरोपीगण द्वारा फरियादी/आहतगण की मारपीट किया जाना संभव है, उतना ही फरियादी/आहतगण द्वारा आरोपीगण को आरोपित घटना में मिथ्या आलिप्त किया जाना भी संभव है।

15. फरियादी/आहत श्रीचन्द्र अ.सा.02, आहत रामलखन अ.सा.03, साक्षी जगदीश अ.सा.04 एवं महावीर अ.सा.05 द्वारा आरोपित घटना दिनांक : 08/09/2015 के शाम 07:30 बजे से 07:45 बजे के बीच की होना दर्शित किया गया है। जबकि फरियादी श्रीचन्द्र अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में घटना के समय के कॉलम में घटना का समय 07:45 बजे अर्थात् सुबह 07:45 बजे का होना अंकित है, जिसकी सूचना थाने पर प्राप्त होने का समय पहले 13:55 अर्थात् दोपहर 01:55 लिखा होना दर्शित होता है, जिसे ओवरराईटिंग कर 23:55 अर्थात् रात्रि 11:55 बजे किया गया होना दर्शित होता है। उक्त ओवरराईटिंग पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध द्वारा कोई लघु हस्ताक्षर भी नहीं किये गये हैं। यह तथ्य आरोपित घटना के वास्तविक समय के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है।

16. अभियोजन साक्षी गोविन्द सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 09/09/2015 को थाना एण्डोरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 109/2015,

अन्तर्गत धारा 323, 294, 506 भाग।। की एफआईआर अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उक्त दिनांक को आहत श्रीचन्द्र के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। दिनांक : 14/09/2015 को आरोपी जोगेन्द्र सिंह गुर्जर एवं कोक सिंह को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी जोगेन्द्र सिंह से बांस की लाठी साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी कोक सिंह से भी बांस की लाठी साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 14/09/2015 को आहत रामलखन, साक्षीगण जगदीश एवं महावीर के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। आहत श्रीचन्द्र एवं रामलखन की मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेचक गोविन्द अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आहत श्रीचन्द्र, रामलखन, जगदीश एवं महावीर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किये थे। जबकि साक्षी जगदीश अ.सा.04 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 में यह बता दिया था कि घटना शाम के 07-07:30 बजे की है, यदि ना लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में घटना के समय का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस वावत् विवेचक गोविन्द सिंह अ.सा.06 एवं साक्षी जगदीश अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है। इसी प्रकार साक्षी महावीर अ.सा.05 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि उसने उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 में यह बता दिया था, कि आहत श्रीचन्द्र के बाये हाथ में चोट आई थी, अगर उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 में उक्त बात ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार इस वावत् विवेचक गोविन्द सिंह अ.सा.06 एवं साक्षी महावीर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है।

17. अभियोजन साक्षी बाल्मीक चौबे अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 08/09/2015 को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को फरियादी श्रीचन्द्र द्वारा आरोपीगण कोक सिंह एवं जोगेन्द्र के विरुद्ध गाली-गलौच करने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट करने पर, उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 109/2015, अन्तर्गत धारा 323, 294, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.स पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, तत्पश्चात् विवेचना हेतु एफआईआर प्रधान आरक्षक गोविन्द सिंह को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बाल्मीक चौबे अ.सा.07 ने यह दर्शित किया है कि आरोपित घटना के समय एवं फरियादी श्रीचन्द्र के थाने पर आकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने के समय के मध्य फरियादी कहाँ पर रहा था, इस वावत् विलम्ब

का कोई कारण उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में लेखबद्ध नहीं किया गया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बाल्मीक चौबे अ.सा.07 ने यह दर्शित किया है कि आहत श्रीचन्द्र के दाहिने कंधे पर एवं रामलखन के बाये कंधे पर चोट थी, परन्तु उपरोक्त विवेचित अभियोजन साक्ष्य से उसके द्वारा दर्शित उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

18. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण जोगेन्द्र सिंह एवं कोक सिंह ने दिनांक 08/09/2015 को शाम लगभग 07:45 बजे, फरियादी श्रीचन्द्र के घर के पास ग्राम मुले का पुरा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी श्रीचन्द्र को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी श्रीचन्द्र एवं रामलखन की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी श्रीचन्द्र की मारपीट कर उसे उपहति एवं आहत रामलखन की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं फरियादी श्रीचन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण जोगेन्द्र एवं कोक सिंह के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

21. प्रकरण में आरोपीगण जोगेन्द्र एवं कोक सिंह से जब्तशुदा एक-एक लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद